न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 20/2026 बउनवानी मीना शर्मा मीना **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्री गिरिराज प्रसाद शर्मा निवासी 161,अमृत नगर मुहाना मण्डी रोड विजयपथ मानसरोवर जयपुर

Appeal Number- 321665289208316

GCMS No-2026/ 13

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.2.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"प्रार्थीया के पिता गिरिराज प्रसाद शर्मा द्वारा स्व अर्जित आय से बनायी गयी सम्पति यथा मकान नम्बर-35 जवाहर नगर गुलाब बाग के पास सवाईमाधोपुर के दस्तावेजो की प्रमाणित सूचना*** "तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक एफ./तह./आरटीआई/2026/06 दिनांक 9.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11..2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/एफ/आरटीआई/2025/219 दिनांक 28.12.2025 द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया था कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण (यथा किस प्रकार के दस्तावेज, ख0न0, ग्राम का नाम इत्यादि) अंकित नही होने के कारण सूचना नही दी जा सकती भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.11..2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 219 दिनांक 28.12.2025 से अपीलान्ट को लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध नही करवाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि मकान से संबंधित दस्तावेज का पूर्ण विवरण अंकित नही है। चूंकि मकान से संबंधित दस्तावेजों तहसील कार्यालय मे संधारित नही होते है इसलिए उक्त मकान से संबधित दस्तावजो की प्रमाणित प्रति तहसील कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण उपलब्ध नही होने एवं चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय मे संधारित नही होने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। सही/ (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर